न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—114/16 (2016/00085) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मीठुसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भीमसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—अर्जुनसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 दिवानी प्रकरण

निर्णय दिनांक 04/08/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोगरास पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के पूर्वज श्री लालसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 342, 344, 345, 346, 352, 741, 742/1, 743, 972, 973 कुल किता 10 कुल रकबा 293 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण के पूर्वज लालसिंह जी उक्त खातेदारी भूमियो में से साबिक आराजी संख्या 342 रकबा 127 बीघा भूमि मे से 64 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अध्यादेश 1973 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहित कर ली जो विधिविरूद्व है उक्त सिंलिंग प्रकरण संख्या 2/1971 के अनुसार प्रार्थीगण की 24 स्टेण्डर्ड ऐकड़ भूमि सिलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहित की गई जिसका प्रार्थीगण ने पुनः अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थीगण ने 24 स्टेण्डर्ड एकड़ की गणना गलत रूप से होने की वजह से प्रस्तुत की गई उक्त गणना विक्रय की गई भूमि को समायोजित करते हुए की गई लेकिन राजस्व अपील प्राधिकृत अधिकारी भीलवाड़ा ने अपने निर्णय मे उक्त गणना में विक्रय की गई भूमि को छोड़ते हुए 9.90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहित किये जाने का ओदश दिया उक्त आदेश के सम्बन्ध में राजस्व सिंलिंग विभाग ने पुनः जांच हेतु आदेशित किया गया तथा सिलिंग प्रकरण को पुनः खोलकर अप्रार्थी को सुनवायी का नियमानुसार नोटिस देकर वर्णित सभी बिन्दुओ पर विस्तृत जांच के उपरान्त कानुनी प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय देने हेतु उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को आवश्यक जांच कर निर्णरू पारित करने हेतु निर्देशित किया गया इससे पूर्व ही प्रकरण संख्या 113/1974 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 20.03.1975 पारित किया गया जिससे भूमि धारक 153 एकड़ तक भूमि रख सकने हेतु लिखा गया जबकि भूमि धारक को खाते में 113 एकड़ भूमि थी उक्त 113 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के उपरान्त रही तथा 34.41 एकड़ भूमि बिना किसी विधिक प्रकिया के अधिग्रहण कर ली गई जबकि प्रार्थीगण की कुल भूमि 147.41 एकड़ भूमि ही बनती है। प्रार्थीगण की 34.41 है0 भूमि गलत रूप से अधिग्रहण कर ली गई जिसे पुनः प्रार्थीगण अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। 34.41 एकड़ भूमि यानि 64 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की गलत रूप से अधिग्रहण की गई उक्त भूमि को बिलानाम दर्ज कर आराजी संख्या 342/1 कायम किये गये प्रमाण में नकल

जमाबन्दी संवत 2030 से 2035 की प्रस्तुत की है। बिलानाम भूमि दर्ज होने के उपरान्त प्रार्थीगण की अधिग्रहण की गई भूमि मे से 5 बीघा भूमि बाबुसिंह पिता कुन्दनसिंह को आवंटन की गई तथा 59 बिघा 7 बिस्वा भूमि वन विभाग राजस्थान को आंवटन कर दी गई प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 की प्रस्तुत की है। भू प्रबन्ध होने से साबिक आराजी संख्या 342 रकबा 127 बीघा के नवीन नम्बर 480 रकबा 3.05 है0, 481 रकबा 10.48 है0, 482 रकबा 1.08 है0, 483 रकबा 12.82 है0 कायम किये गये। नवीन आराजी नम्बर 482 रकबा 1.08 है0 व आराजी नम्बर 483 रकबा 12.82 है0 भूमि प्राथीगण के पूर्वज लालसिंह जी से अधिग्रहित की गई जिये पुनः प्रार्थीगण अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पूर्वज लालसिंह पिता मोतीसिंह के खाते मे से राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अध्यादेश 1973 के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई भूमि 342/1 रकबा 64 बीघा 7 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 482 रकबा 1.08 है0, 483 रकबा 12.82 है0 को पुनः प्रार्थीगण के हक में बहाल फरमाते हुए पुनः प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक एवं अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवायी जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 31/08/2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब के रूप में मौखिक निवेदन किया गया कि चुकि प्रकरण में वर्णित आराजी वर्तमान में आराजी नम्बर 482 रकबा 1.08 है0, आराजी नम्बर 483 रकबा 12.82 है0 भूमि जो अधिग्रहित की गई थी वो वर्तमान में भूमिधारी तहसीलदार रायपुर के स्वामित्व में नही होकर आवंटन हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही हैं। इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम जोगरास की वर्तमान आराजी नम्बर 482 रकबा 1.08 है0 होकर खातेदार बालुसिंह पिता कुन्दनसिंह राजपूत के नाम दर्ज होकर मौके पर थोहर की बाड़ लगाकर कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 483 रकबा 12.82 है0 वन विभाग राजस्थान के नाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 483 में जगह जगह ट्रेंचे खेदकर मेड़बन्दी कर रखी है तथा बनास प्रोजेक्ट के तहत नाड़िया पानी रोकने हेतु बनी हुई है उपस्थित मौतबिरानो ने बताया कि उक्त कार्य वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा करवाया गया है।

पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की एवं अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर के उपस्थित प्रतिनिधि नायब तहसीलदार रायपुर की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया एवं विपक्षी सरकार की और से बहस में मुख्य कथन किया कि राजस्थान सरकार के राजस्व (सिंलिग) विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांकः एफ 1 (1517) /राज/सिंलिंग/78/845 जयपुर दिनांक 08.05.1980 के अनुसार दिनांक 26.04.1980 को सिंलिंग प्रकरण संख्या 2/71 प्राधिकृत अधिकारी भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 10.12.1971 के अनुसार एवं उक्त राज्य सरकार के आदेश के अनुसार प्रकरण अतिरिक्त जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है जिसमें अन्तिम निर्णय नही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड ओर दोनो पक्षो द्वारा की गई बहस पर मनन किया तो पाया कि सब डिविजन ऑफिसर भीलवाड़ा के द्वारा पत्रावली संख्या 113/74 निर्णय दिनांक 20.03.1975 के अनुसार प्रार्थीगण के परिवार में 153 एकड़ तक भूमि रखी जा सकती है जबकि उसके खाते में 113.75 एकड़ भूमि ही है यह कहते हुए कार्यवाही ड्रोप करने का निर्णय दिया गया। इसके बाद राजस्थान सरकार के राजस्व (सिंलिंग) विभाग के अनुसार भी भीलवाड़ा प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय 10.12.1971 एवं 26.04.1980 के निर्णय का समावेश करते हुए उपशासन सचिव राजस्व (सिंलिंग) जयपुर द्वारा परिपत्र दिनांक 08.05.1980 के अनुसार विस्तृत निर्णय पारित करते हुए निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिलाधीश भीलवाड़ा को प्रेषित की गई इससे यह प्रमाणित है कि प्रकरण में अन्तिम निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के द्वारा पारित किया जाना है प्रकरण में अन्तिम निर्णय नही हुआ है।

इसके अलावा मुख्य बिन्दु इस प्रकरण में यह सामने आया कि सरकार के द्वारा 46 बीघा 7 बिस्वा भूमि को सरप्लस मानते हुए अधिकृत कर बिलानाम सरकार दर्ज की गई थी वो सम्पूर्ण रकबा सरकार के द्वारा राज्य सरकार की निति एवं अधिसूचना के अनुसार भूमि आवंटित हो चुकी है। जिसमें 5 बीघा भूमि बाबुसिंह पिता कुन्दनसिंह को आवंटन की गई तथा 59 बिघा 7 बिस्वा भूमि वन विभाग राजस्थान को आंवटन कर दी गई और मौके पर भी अवाप्त सुदा भूमि का नवीन खसरा नम्बर 482 रकबा 5 बीघा श्री बाबुसिंह के नाम होकर उनके कब्जे मे है इसी तरह नवीन आराजी नम्बर 483 रकबा 59 बीघा 7 बिस्वा भूमि वन विभाग राजस्थान के नाम आवंटित हो चुकी है जिसमें विभाग द्वारा जगह जगह ट्रेंचे खेदकर मेड़बन्दी कर रखी है तथा बनास प्राजेक्ट के तहत् पानी रोकने हेतु नाड़िया बना रखी है जो वपिक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट प्रमाणित है। विशेष बात यह भी है जितनी भूमि अवाप्त की गई वो सम्पूर्ण आवंटित हो चुकी है राज्य सरकार के पास कोई रकबा शेष नही है अगर आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो भूमि आवंटन आदेशो के प्रतिकुल होकर कानुनी पेचिदगि बढ़ती है ओर इसके अलावा भी मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है और न भूमि राजस्थान सरकार के कब्जे मे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जोगरास के साबिक आराजी नम्बर 342 रकबा 127 बीघा मे से 64 बीघा 7 बिस्वा भूमि एवं नवीन खसरा नम्बर 482 रकबा 1.08 है0 आराजी नम्बर 483 रकबा 12.82 है0 के सम्बन्ध प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 144 दिवानी प्रकिया संहिता खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.8.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 16:49:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: